तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-11-22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि वर्तमान में खसरा नम्बर 297 के पुराने खसरा नं. 651/3 था इस बाबत मिलान क्षेत्रफल भी पेश किया है। उक्त भूमि पर हम काफी लम्बे समय से काबिज है। खसरा गिरदावरी में भी हम काबिज होने का इंद्राज है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 द्वारा हमारे को परेशान किया जा रहा है। जिस बाबत हमने उसके खिलाफ इस्तगासा/एफ.आई.आर. दर्ज करवायी थी। इस संबंध में अधिनस्थ नायब तहसीलदार अजीतगढ़ का विवादित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। नायब तहसीलदार, अजीतगढ़ द्वारा बिना तामिल जारी किये तामिल मांनते हुये एक पक्षीय कार्यवाही दर्ज करते हुये दिनांक 05.05.2022 को विवादित आदेश पारित किया है। मौके पर हमारे मकान बने हुये है। जिसमें हम लम्बे समय से रह रहे है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर में घोषणा का वाद भी कर रखा है। रेस्पो. नं. 02 द्वारा हमारे को परेशान कर रहे है। अपीलान्ट काफी कमजोर है। रेस्पो. नं. 02 द्वारा इस कमजोरी का फायदा उठाते हुये हमारे को काफी परेशान किया जा रहा है। उक्त भूमि के संबंध में हमारे नाम से प्रथम नोटिस वर्ष 1986 में मामराज के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त भूमि पर हमारे जो मकान बने हुये है। जिनकी फोटो भी हमने पेश कि है। पटवारी रिपोर्ट जो पेश कि गई है। जिसमें सरकारी भूमि का उल्लेख किया गया है। उसमें किन्ही पर भी अंकित नहीं है कि हमारे द्वारा लीज क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखा है। खसरा नं. 297 सिवायचक भूमि है। जिसमें आवेदक कि कोई लीज या खनन पट्टा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। रेस्पो. नं. 02 किसी प्रकार का ना तो पीड़िप पक्षकार है ना हि हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर नायब तहसीलदार, अजीतगढ़ का निर्णय दिनांक 05.05.2022 मुकदमा सरकार बनाम कैलाश आदि अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट. प्रकरण संख्या 80/2022 अपास्त फरमाया जावें। पत्रावली में प्रार्थी मैसर्स अविनाशी धाम कि ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश एक नियम 10 सी.पी.सी. पर नियमानुसार सुनवाई कर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 01.09.2022 के आधार पर रेस्पो. नं. 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। वकील रेस्पो. नं. 02 ने दौराने बहस बताया कि भूमि खसरा नं. 297 में भूमि हमारे को लीज पर दी गई है। जिस बाबत् हम सरकार को राजस्व राशि हम अदा करते आ रहे है। अपीलान्ट द्वारा मौके पर विवाद पैदा करते है। नायब तहसीलदार, अजीतगढ़ द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। प्रार्थी द्वारा अपनी लीज का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है एवं तरमीम हो चुकी है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नं. 297 में अतिक्रमण कर रखा है। जो हमारे लीज क्षेत्र में है। दिनांक 10.05.2017 से 50 वर्ष हेतु लीज संख्या 53/2011 स्वीकृत है। अपीलान्ट फर्म के खनन कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे है जिससे फर्म को भारी हानि हो रही है। जिस कारण समय पर राजस्व कर जमा नहीं करवा पा रहे है। अपीलान्ट द्वारा तथ्यो को छूपाकर श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश कि है एवं अन्तरिम स्थगन आदेश भी एकपक्षीय लिया [illegible] इस प्रकार प्रस्तुत अपील/प्रार्थना–पत्र खारिज फरमायी जावें। वकुलाय उभय पक्ष कि बहस पर [illegible] किया। तथा पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व दौराने बहस [illegible]तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रेस्पो. नं. 01 द्वारा अपील से संबंधित जो मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत [illegible]र्ट में भूमि खसरा नं. 297 रकबा 1.00 है0 पर मिट्टी कि डोल व तारबंदी कर कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि सरकारी है। नायब तहसीलदार द्वारा मु.नं. 80/2022 उनवानी सरकार बनाम कैलाश वगै. निर्णय दिनांक 05.05.2022 को कर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना गया है। अतिक्रमी मानते हुये। बेदखली का आदेश पारित किया गया है। यह बात तो स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार, अजीतगढ़ द्वारा पारित निर्णय के आधार पर अपीलान्ट अतिक्रमी है। वकील रेस्पो. का कथन है कि मैसर्स अविनाशी धाम माईन्स एण्ड मिनरल्स के नाम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:57:09 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से खातेदारी भूमि खसरा नं. 298, 299, 300 एवं खसरा नं. 297 सिवायचक में से खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग सीकर द्वारा दिनांक 10.05.2017 से 50 वर्ष हेतु लीज संख्या 53/2011 स्वीकृत है। जिसका निस्पादन दिनांक 04.07.2017 से होकर पंजीयन किया गया है। नायब तहसीलदार, अजीतगढ़ द्वारा प्रस्तुत/प्राप्त दस्तावेजात से यह तो स्पष्ट कि भूमि खसरा नं. 297 में लीज क्षेत्र है। इसी के साथ खसरा नं. 297 पर अपिलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना साबित हो रहा है। इस प्रकार भूमि खसरा नं. 297 बाबत् दोनों ही पक्ष अपना–अपना हक बताया है। जो बिन्दू विरोधाभासी प्रतीत होते है। इस संबंध में मौके पर नाप–चोक करने पर ही यह बिन्दू स्पष्ट होगा कि लीज का क्षेत्र कहां तक है एवं अपीलान्ट का अतिक्रमण कहां पर है। इसी आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है। नायब तहसीलदार अजीतगढ़ का आदेश दिनांक 05.05.2022 अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौके पर भूमि का उभय पक्ष कि मौजूदगी में नाम–चोक किया जावें एवं उभय पंक्ष के दस्तावेजो को पुनः अवलोकन करते हुये निर्णय पारीत करें। निर्णय कि पालना हेतु नायब तहसीलदार, अजीतगढ़ को निर्णय कि छायाप्रति के साथ तहरीर जारी कि जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:57:09 IST
Reason: SelfAttested